भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

निर्देश : एसईसी:सीओओआरडी/25/2004 तारीख : 1 मार्च, 2019

कार्यालय आदेश

विषय : अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती।

1. उपर्युक्त विषय पर सभी डीओपी के अधिक्रमण में, यह निर्णय लिया गया है कि निगम के नियम/नीति और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रभागाध्यक्ष/एककाध्यक्ष द्वारा विधिवत की गई सिफारिश पर, संबंधित प्रभाग/एकक की आवश्यकता के अनुसार, पैनलबद्ध जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती के साथ-साथ ऐसे मामलों में समयावधि बढ़ाने के अनुमोदन के लिए प्रभागाध्यक्ष (मानव संसाधन) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

2. इसके अलावा, नीतिगत मामलों और नई तैनाती/नियुक्ति से इतर सीधे संविदा पर संविदागत कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों का निपटान निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन) द्वारा किया जाएगा। हालांकि, नीतिगत मामलों और सीधे संविदा पर किसी नई तैनाती/नियुक्ति का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

3. इसके अतिरिक्त, प्रभागाध्यक्ष (मानव संसाधन), प्रधान प्रबंधक (मानव संसाधन) को तारीख 01.04.2005 के कार्यालय आदेश सं. एसईसी : 182 (एचआरएम) द्वारा जारी मानव संसाधन प्रबंध प्रभाग की शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेंगे।

4. यह आदेश अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(वी के जैन)
कंपनी सचिव

वितरण:

1. निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्यिक व विपणन)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. होटल खानपान स्थापना एककों/प्रभागों के सभी प्रधान प्रबंधक
3. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की विशेष कार्य अधिकारी
4. वरिष्ठ प्रबंधक (आईटी)
5. प्रबंधक (राजभाषा)